

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

Email:- dm-pra-rj@nic.in

Ph- 01478-223366

क्रमांक:-आ.प्रएवंसहा./आंधी-तूफान/2021-22/स्वीकृति/2022/3389-95

दिनांक: 29/02/2023

-: संशोधित स्वीकृति आदेश :-

तहसील कार्यालय पीपलखुंट द्वारा उनके तहसील क्षेत्र में दिनांक 05.07.2022 को आंधी-तूफान से पक्का मकान पूर्ण क्षति पर पीड़ितों को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंषा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाया गया है ।

अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार पीपलखुंट की अनुशंषा के आधार पर एवं भारत सरकार के संशोधित आदेश No. 32-7/2014- NDM-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 01 (01) (D) में वर्णित प्रावधानानुरूप व कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार पीड़ित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर आंधी-तूफान से पक्का मकान पूर्ण क्षति होने से हुई क्षतिपूर्ति हेतु एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

क्र.सं	पीड़ित का नाम मय पता	दुर्घटना का स्थान एवं विवरण	क्षतिग्रस्त मकान का प्रकार	स्वीकृत राशि	आवेदन संख्या
1	श्री महेन्द्र पिता प्रेमचन्द्र भील	लेवापाड़ा, डुंगलावानी	पक्का पूर्ण	38000	AR/PRAT/2022/044700
2	श्री धरमेन्द्र पिता रकमा भील	लेवापाड़ा, डुंगलावानी	पक्का पूर्ण	25000	AR/PRAT/2022/043031
3	श्रीमती काली पति छगन पिता दितीया भील	आमलीखेड़ा, ढेचला	पक्का पूर्ण	22000	AR/PRAT/2022/042418
4	श्री हीरालाल पिता नारायण भील	लेवापाड़ा, डुंगलावानी	पक्का पूर्ण	57400	AR/PRAT/2022/044649
5	श्री कान्तीलाल पिता तोलाराम भील	लेवापाड़ा, डुंगलावानी	पक्का पूर्ण	30573	AR/PRAT/2022/044650
6	श्री रकमचन्द्र पिता बसंतीलाल भील	लेवापाड़ा, डुंगलावानी	पक्का पूर्ण	18294	AR/PRAT/2022/018404
7	श्री नारूलाल पिता धनजी भील	लेवापाड़ा, डुंगलावानी	पक्का पूर्ण	35757	AR/PRAT/2022/017986
योग				227024	

(दो लाख सत्ताईस हजार चौबीस मात्र)

नोट:-

- राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा:
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02- बाढ़/चक्रावात, 113-घर की मरम्मत, पुनःनिर्माण हेतु सहायता (09)-बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/ पुनःनिर्माण के लिए सहायता, 01- पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्का घर, 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)
- राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़

क्रमांक:-आ.प्रएवंसहा./आंधी-तूफान/2022-23/स्वीकृति/2023/3389-95

दिनांक: 29/02/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी पीपलखुंट।
- तहसीलदार, पीपलखुंट।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
- लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़